न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 123/2007

सायलानः–	बनाम	गैरसायलान :–
1. सोनाराम पुत्र दानाराम		1. उम्मेदराम पुत्र भागुराम
2. रामपाल पुत्र दानाराम		2. समुन्दर पुत्र भागुराम
3. बंशीराम पुत्र दानाराम		3. पीपीराम पुत्र भागुराम
4. शंकरराम पुत्र दानाराम फौत		जातियान–चौकीदार (बावरी)
के कायम मुकाम :–		निवासीगण–बस्सी (आ0कालू)
4/1 मल्लाराम पुत्र शंकरराम		तहसील–जैतारण, जिला–पाली
4/2 बींजाराम पुत्र शंकरराम		
4/3 चम्पालाल पुत्र शंकरराम		
जातियान–चौकीदार (बावरी)		
निवासी–बस्सी, (आ0कालू)		
तहसील–जैतारण, जिला–पाली		

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजूः.16.07.2007**

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, सायलान।
2. श्री रेवतसिंह, अधिवक्ता, गै0सा0।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 13/07/2015**

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा–बस्सी, पटवार हल्का–आ0कालू, तहसील–जैतारण में सायलान व वाद–पत्र में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नं. 1348 रकबा 18 बीघा 18 बीघा 18 बीस्वा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई हैं। जिसमें सायलान का 1/2 हिस्सा हैं एवं शेष 1/2 हिस्से के खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की हैं। सायलान व प्रतिवादी संख्या 5 से 7 का माफिक अपने हक हिस्सेनुसार विवादित आराजी पर कब्जा व काश्त हैं। नकल चालू जमाबंदी एवं खसरा गिरदावरी प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं। इस आराजी को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। सायलान के इस खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आराजी से गैरसायलान का कोई संबध नहीं हैं, न ही उनको इस आराजी पर कब्जा या काश्त रहा हैं। विवादित आराजी सायलान व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के मध्य आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व से बंटी हुई हैं। माफिक बंटवारे व मौके पर कब्जे व काश्त के अनुसार सायलान के हिस्से की आराजी के पड़ौस पूर्व में – पाबूराम पुत्र धर्माराम जाट का खेत पश्चिम में – धारु नाडा जाने का रास्ता उत्तर में फूलीदेवी पत्नी भंवरु जाट का खेत दक्षिण में गैरसायल संख्या 05 से लगायत 7 का खसरा सं. 1348 के 1/2 हिस्से का खेत हैं। वर्णित पडोसो के बीच सायलान के कब्जे व काश्त का खेत 09 बीघा 09 बीस्वा का सायलान का हैं। जिस पर सायलान का अपने पिता के समय से कब्जा व काश्त हैं। सायलान सालों साल फसल बोते हैं व भोगते है। सायलान ने अपने इस खातेदारी सुदा खेत में आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व अपने पिताजी के जीवनकाल में पानी खारा हो जाने की वजह से वर्तमान में कुआ बंद पडा हैं तथा सायलान के रहवासी झोपडे व भेड बकरी डालने के बाडे इत्यादि इसी विवादित आराजी में बने हुए है। गैरसायलान का इस विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार नहीं होते हुए भी वे सायलान से एलानिया कथन करते है कि उनके पूर्वजों ने (प्रतिसायलान के पूर्वजो ने) सायलान के पूर्वजों को वर्षो पूर्व रुपयें उधार दे रखें हैं।

Scanned by CamScanner

उक्त रुपयें तुम लोगों ने अभी तक वापस नहीं दिये हैं। इसलिए हम तुम्हारी यह जमीन हमारे कब्जे मे लेकर के दबा लेगें। जबकि सायलान के पूर्वजों ने जहां तक सायलान की जानकारी है, गैरसायलान व उनके पूर्वजों से अभी तक किसी प्रकार की कोई रकम उधार नहीं ली तथा न ही कोई लेनदेन व कोई किसी प्रकार का लिखित ही किया था। गैरसायलान जबरदस्ती लाठी लकडी के बल पर सायलान के कब्जे व काश्त में दखलदांजी कर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। हडमानराम गैरसायल संख्या 1 से 3 का सगा बहनोई हैं, जो बाहर के बदमाश लोगो का गिरोह बनाकर के लाकर के सायलान को धमका रहे हैं। दिनांक 13/07/2007 को गैरसायलान जीप लेकर सायलान के कब्जे व काश्त सुदा खेत में आये एवं एलानिया कथन किया कि दस दिनों के अन्दर अन्दर तुम लोग इस खेत को खाली करदो अन्यथा हम तुम्हें मारपीट करेगें और जबरदस्ती कब्जा जमायेगें। अगर गैरसायलान ने जबरदस्ती लाठी लकडी के बल पर सायलान के कब्जे व काश्त में दखलदांजी कर सायलान को बेदखल किया, तो सायलान हमेशा-हमेशा के लिए अपने साम्पैतिक अधिकारों से वंचित हो जायेगे, जिससे सायलान को अपूरणीय क्षति होगी। जिसका आंकलन मुद्रा में नही किया जा सकता। तब सायलान गैरसायलान के ऐसे अवैधानिक कृत्यों का विरोध करेगें, जिससे विवाद बढेगा व वाद बाहुल्यता होगी। सायलान इस विवादित आराजी के रेकर्डेड काबिज खातेदार व काश्तकार होने से प्रथम दृष्टिया मामला सायलान के पक्ष में बखूबी प्रमाणित हैं। मौके पर सायलान के कब्जे व काश्त के आधार पर एवं समस्त तथ्यों परिस्थितियों व दस्तावेजात के आधार पर सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में हैं। लेकिन गैरसायलान जबरदस्ती लाठी, लकडी के बल पर अवैधानिक कृत्य कर रहे हैं। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में सायलान के पास अदालत हाजा में यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रह जाने से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र सायलान की ओर से विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया हैं।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-आ0कालू में पेश हुई। गै0सा0 जबाब पेश करने का समय चाहाते हैं। बार-बार समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। सायलान राजस्व रेकर्ड के अनुसार खातेदार काश्तकार हैं। सायलान व उभय पक्षकारान् को वाद निर्णय तक कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि राजस्व मौजा-बस्सी, पटवार हल्का-आ0कालू, तहसील-जैतारण में सायलान व वाद-पत्र में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नं. 1348 रकबा 18 बीघा 18 बीघा 18 बीस्वा किस्म बारानी अव्वल भूमि में उभय पक्षकारान् को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से वाद के निर्णय तक रोका जाकर पाबन्द किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 13/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-आ0कालू पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner